कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 79 / अजमेर/2013-14

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड पता- कामडमल रेगर हाई स्कूल रोड, पटवारी के पास जिला-अजमेर सरवाड ।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक पांच माह सितम्बर सन् दो हजार तेरह को जारी किया गया ।

(उत्तमचन्द [illegible]ावडा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर

श्री धरणीधर शिक्षा समिति

तहसील सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)

संघ विधान पत्र

1. **संस्था का नाम :** इस संस्था का नाम **श्री धरणीधर शिक्षा समिति,** /सोसायटी/संस्थान/संस्था हैं व रहेगा।
2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : ***श्री धरणीधर शिक्षा समिति, c/o कामड मल रेगर हाई स्कूल रोड़, पथवारी के पास, सरवाड़*** है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. **संस्था के उद्देश्य :** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –
   1. बालकों को आदर्श शिक्षा प्रदान कर शिक्षित समाज का निर्माण करना।
   2. कमजोर व कामकाजी छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा देना।
   3. संस्था ग्रामीण विकास को महत्व देगी। इस हेतु ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। जिसके लिए संस्था राजस्थान खादी बोर्ड अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लघु एवं कुटीर उद्योग निदेशालय की योजनाओं को लाना व उनका जनहित में संचालन करना।
   4. संस्था सामाजिक उत्थान हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए प्रारम्भिक क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षा तक के बालक–बालिकाओं के लिए विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र महाविद्यालय आदि खोलना एवं उनका प्रबन्ध संचालन करना एवं शिक्षा देना।
   5. परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना, इस हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों में योजना व कार्यक्रमों को लेकर उनके द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना एवं एड्स रोकथाम हेतु कार्य करना।
   6. तकनीकी, व्यवसायिकी एवं सभी प्रकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा व प्रशिक्षण देना।
   7. बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी एवं गैरसरकारी/सहकारी क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा मुहैया करवाना।
   8. पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित वातावरण सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य करने हेतु।
   9. समाज कल्याण द्वारा निजी भागीदारी से सम्बन्धित निजी भागीदारी की योजनाओं की पूर्ति हेतु।
   10. मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली से सम्बन्धित निजी भागीदारी की योजनाओं की पूर्ति हेतु।
   11. महिलाओं के कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं में भागीदारी लेकर महिला विकास सम्बन्धी कार्यों की पूर्ति हेतु।
   12. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना।
   13. वन्यजीव संरक्षण के तहत दुर्लभ जीव जन्तु पशु पक्षी आदि के संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
   14. वानिकी संरक्षण के तहत उपयोगी पेड पौधों, औषधियों व जडी बूटियों से सम्बन्धित पौधे तैयार करने हेतु।
   15. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण एवं छुआछूत आदि के बारे में जानकारी व सहयोग प्रदान करना।
   16. संस्था भूमि सुधार जलग्रहण तथा कृषि को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं को गांव–गांव पहुंचा कर कृषि को एवं उस पर आश्रित कृषकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करेगी।
   17. संस्था विधवा परित्यक्ता महिलाओं का आश्रम प्रदान करेगी। उनके पुनर्विवाह एवं जीविकोपार्जन हेतु संसाधन जुटाने का कार्य करेगी।
   18. संस्था द्वारा गैर सरकारी/सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न भवन निर्माण में एवं सडक निर्माण इत्यादि में काम में आने वाली सामग्री एवं स्टेशनरी आदि उचित दर पर दिलवाने की सुविधा मुहैया करवायेगी।

अध्यक्ष — अध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

मंत्री — मंत्री, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया हैं, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है :

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	नवनीत नागर पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद धाकड़	अध्यापन	"धाकड़ भवन" प्लाट नं. 91, जैन मन्दिर के पीछे, पटेल नगर, देवली (टोंक)	अध्यक्ष
2	दामोदर प्रसाद नागर पुत्र श्री रामरतन नागर	अध्यापन	86, हेण्ड पम्प के पास, अम्बापुरा, देवली (टोंक)	उपाध्यक्ष
3	रामराज साधु पुत्र श्री रघुवीर साधु	अध्यापन	ग्रम रामपुरा तह.केकडी जिला अजमेर (राज.)	उपाध्यक्ष
4	परमेश्वर धाकड़ पुत्र श्री देबीलाल धाकड़	व्यापारी	ग्राम बिलावटियाखेड़ा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	मंत्री
5	प्रेमचन्द नागर पुत्र श्री घीसालाल	व्यापारी	ग्राम सोहनपुरा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	कोषाध्यक्ष
6	प्रिया नागर पत्नी संजय धाकड़	गृहिणी	"धाकड़ भवन" प्लाट नं. 91, जैन मन्दिर के पीछे, पटेल नगर, देवली (टोंक)	उपमंत्री
7	गोपीलाल कीर पुत्र भूरा कीर	अध्यापन	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	सदस्य
8	पूरण रेगर पुत्र कामड़ मल	व्यापारी	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	सदस्य
9	सांवरलाल धाकड़ पुत्र शिवजी राम धाकड़	[illegible] सहायक	ग्राम बिलावटियाखेड़ा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	सदस्य
10	श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नि श्री रिंकू शर्मा	गृहिणी	182, विद्यालय भवन के पास, टोंकड़ा तह. हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)	सदस्य
11	श्रीमती संतोष सोनी पत्नि श्री पूरणमल सोनी	गृहिणी	घोसी मौहल्ला, देवली जिला टोंक (राज.)	सदस्य
12	रामवतार धाकड पुत्र हरजीराम धाकड़	अध्यापन	ग्राम रामपुरा तह.केकडी जिला अजमेर (राज.)	सदस्य
13	श्रीमती मायादेवी पत्नि श्री शंकर लाल रेगर	गृहिणी	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड सरवाड जिला अजमेर (राज)	सदस्य
14	आशीष जैन पुत्र श्री पारसमल जैन	व्यापारी	15, कसाई मौहल्ला, वार्ड नं. 10, तह. देवली जिला टोंक (राज.)	सदस्य
15	शिवशंकर माहेश्वरी पुत्र श्री लादूराम माहेश्वरी	एकाउन्टेंट	पुराना बाजार, ग्राम पोस्ट घाड़, तह. देवली जिला टोंक (राज.)	सदस्य

1. संस्थान को पंजीयन क्रमांक 79
2. संस्था का नाम श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़
3. किस्म दस्तावेज [illegible]
4. दस्तावेजों की संख्या तीन
5. दिनांक पंजीयन 5.9.13
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

अध्यक्ष — अध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

मंत्री — मंत्री, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	नवनीत नागर पुत्र श्री रामेश्वरप्रसाद धाकड़	अध्यापन	''धाकड़ भवन'' प्लाट नं. 91, जैन मन्दिर के पीछे, पटेल नगर, देवली (टोंक)	
2	परमेश्वर धाकड़ पुत्र श्री देबीलाल धाकड़	व्यापार	ग्राम बिलावटियाखेड़ा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	
3	दामोदर प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री रामरतन धाकड़	अध्यापन	86, हेण्ड पम्प के पास, अम्बापुरा, देवली (टोंक)	
4	सत्यनारायण जाट पुत्र रामलाल जाट	डेयरी व्यवसाय	ग्रम लल्लाई तह. सरवाड जिला अजमेर (राज.)	
5	गोपीलाल कीर पुत्र भूरा कीर	अध्यापन	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड़ सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	
6	प्रेमचन्द नागर पुत्र श्री घीसालाल	व्यापारी	ग्राम सोहनपुरा तह. सरवाड़ जिंला अजमेर (राज.)	
7	पूरण रेगर पुत्र कामड़ मल	व्यापारी	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	
8	प्रिया नागर पत्नी संजय धाकड़	गृहणी	''धाकड़ भवन'' प्लाट नं. 91, जैन मन्दिर के पीछे, पटेल नगर, देवली (टोंक)	
9	महेन्द्र कुमार रेगर पुत्र कामड़ मल रेगर	व्यापारी	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड़ सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	
10	सांवरलाल धाकड़ पुत्र शिवजी राम धाकड़	पशुधन सहायक	ग्राम बिलावटियाखेड़ा तह. सरवांड़ जिला अजमेर (राज.)	
11	श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नि श्री रिंकू शर्मा	गृहिणी	182, विद्यालय भवन के पास, टोंकड़ा तह. हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)	
12	श्रीमती संतोष सोनी पत्नि श्री पूरणमल सोनी	गृहिणी	घौसी मौहल्ला, देवली जिला टोंक (राज.)	
13	रामवतार धाकड़ पुत्र हरजीराम धाकड़	अध्यापन	ग्रम रामपुरा तह.केकडी जिला अजमेर (राज.)	
14	धर्मराज सुवालका पुत्र नन्दलाल सुवालका	अध्यापन	ग्रम देवली जिला टोंक (राज)	
15	प्रकाश चन्द धाकड़ पुत्र हरिराम धाकड़	अध्यापन	ग्राम बिलावटियाखेड़ा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	
16	आशीष जैन पुत्र श्री पारसमल जैन	व्यापारी	15, कसाई मौहल्ला, वार्ड नं. 10, तह. देवली जिला टोंक (राज.)	
17	शिवशंकर माहेश्वरी पुत्र श्री लादूराम माहेश्वरी	एकाउन्टेंट	पुराना बाजार, ग्राम पोस्ट घाड़, तह. देवली जिला टोंक (राज.)	
18	रामराज साधु पुत्र श्री रघुवीर साधु	अध्यापन	ग्रम रामपुरा तह.केकड़ी जिला अजमेर (राज.)	
19	बजरंग लाल धाकड पुत्र श्री सोहन लाल	तकनिकी कर्मचारी	ग्राम मूहला तह. शाहपुरा जिला भीलवाडा	
20	श्रीमती माया देवी पत्नि श्री शंकर लाल रेगर	गृहिणी	हाई सैकण्डरी स्कूल रोड सरवाड़ जिला अजमेर (राज)	
21	मुकेश कुमार मेघवंशी पुत्र श्री मोहन लाल मेघवंशी	मेल नर्स	ग्राम हींगतडा तह. सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम / व्यवसाय / पूर्ण पता)

व्याख्याता
रा. उ. मा. विद्यालय
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष — अध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

मंत्री — मंत्री, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष, श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ (अजमेर)

श्री धरणीधर शिक्षा समिति

तहसील सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम :** इस संस्था का नाम **श्री धरणीधर शिक्षा समिति,** समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था हैं व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : ***श्री धरणीधर शिक्षा समिति, c/o कामड मल रेगर हाई स्कूल रोड़, पथवारी के पास, सरवाड़*** है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य :** संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

    1. बालकों को आदर्श शिक्षा प्रदान कर शिक्षित समाज का निर्माण करना।
    2. कमजोर व कामकाजी छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा देना।
    3. संस्था ग्रामीण विकास को महत्व देगी। इस हेतु ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। जिसके लिए संस्था राजस्थान खादी बोर्ड अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लघु एवं कुटीर उद्योग निदेशालय की योजनाओं को लाना व उनका जनहित में संचालन करना।
    4. संस्था सामाजिक उत्थान हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए प्रारम्भिक क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षा तक के बालक-बालिकाओं के लिए विद्यालय, आवासीय विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, महाविद्यालय आदि खोलना एवं उनका प्रबन्ध संचालन करना एवं शिक्षा देना।
    5. परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना। इस हेतु राज्य सरकार / केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों में योजना व कार्यक्रमों को लेकर उनके द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना एवं एड्स रोकथाम हेतु कार्य करना।
    6. तकनीकी, व्यवसायिकी एवं सभी प्रकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा व प्रशिक्षण देना।
    7. बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी एवं गैरसरकारी / सहकारी क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा मुहैया करवाना।
    8. पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित वातावारण सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य करने हेतु।
    9. समाज कल्याण द्वारा निजी भागीदारी से सम्बन्धित निजी भागीदारी की योजनाओं की पूर्ति हेतु।
    10. मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली से सम्बन्धित निजी भागीदारी की योजनाओं की पूर्ति हेतु।
    11. महिलाओं के कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं में भागीदारी लेकर महिला विकास सम्बन्धी कार्यों की पूर्ति हेतु।
    12. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना।
    13. वन्यजीव संरक्षण के तहत दुर्लभ जीव जन्तु पशु पक्षी आदि के संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
    14. वानिकी संरक्षण के तहत उपयोगी पेड़ पौधों, औषधियों व जड़ी बूटियों से सम्बन्धित पौधे तैयार करने हेतु।
    15. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण एवं छुआछूत आदि के बारे में जानकारी व सहयोग प्रदान करना।
    16. संस्था भूमि सुधार जलग्रहण तथा कृषि को प्राथमिकता देने वाली योजनाओं को गांव-गांव पहुंचा कर कृषि को एवं उस पर आश्रित कृषकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करेगी।
    17. संस्था विधवा परित्यक्ता महिलाओं का आश्रम प्रदान करेगी। उनके पुनर्विवाह एवं जीविकोपार्जन हेतु संसाधन जुटाने का कार्य करेगी।
    18. संस्था द्वारा गैर सरकारी / सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न भवन निर्माण में एवं सड़क निर्माण इत्यादि में काम में आने वाली सामग्री एवं स्टेशनरी आदि उचित दर पर दिलवाने की सुविधा मुहैया करवायेगी।

अध्यक्ष
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

मंत्री
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

कोषाध्यक्ष
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल, दीवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे –

1. संरक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्मानीय
4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–

1. संरक्षक राशि **2100**/– वार्षिक
2. विशिष्ठ राशि **1100**/– वार्षिक
3. सम्मानीय राशि **551**/– वार्षिक
4. साधारण राशि **551**/– वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएँ अजमेर

7. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग–पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे –

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
   (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष अध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	मंत्री मंत्री श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)

10. **साधारण सभा की बैठके :–**

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

11 **कार्यकारिणी का गठनः**

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. अध्यक्ष – एक	2. उपाध्यक्ष – दो
3. मंत्री–एक	4. उपमंत्री – एक
5. कोषाध्यक्ष–एक	6. सदस्य– नो

(उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जायें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 6 पदाधिकारी व 9 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन :**

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि में लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. **कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :**

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	मंत्री श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	कोषाध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)

4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकरियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे

1 — अध्यक्ष :
1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2— उपाध्यक्ष :
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3— मंत्री
1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय—व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

अध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	मंत्री श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)	कोषाध्यक्ष श्री धरणीधर शिक्षा समिति सरवाड़ (अजमेर)

5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवयश्यक हों।

4— उपमंत्री :

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी /मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

5— कोषाध्यक्ष :

1. वार्षिक लेखा—जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष :** संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :—

1. चंदा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से मंत्री के एकल या किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन—देन संभव होगा।

17. **कोष संबंधी विशेषाधिकारी :** संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें।

1. अध्यक्ष 11,000/— रूपये
2. मंत्री 11,000/— रूपये
3. कोषाध्यक्ष 5,000/— रूपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण :** संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

अध्यक्ष
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

मंत्री
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

कोषाध्यक्ष
श्री धरणीधर शिक्षा समिति
सरवाड़ (अजमेर)

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएँ अजमेर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। संस्था को एक चार्टड एकाउन्टेंट नियुक्त कर उससे लेखा पुस्तकों की आडिट करनी होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **श्री धरणीधर शिक्षा समिति, सरवाड़ जिला अजमेर (राज.)** की सही व सच्ची प्रति है।

1. संस्थान का पंजीयन क्रमांक....79....
2. संस्था का नाम....................
3. किस्म दस्तावेज....................
4. दस्तावेजों की संख्या....................
5. दिनांक पंजीयन....5.9.13....
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार....................

अध्यक्ष **श्री धरणीधर शिक्षा समिति** **सरवाड़ (अजमेर)**	**मंत्री** **श्री धरणीधर शिक्षा समिति** **सरवाड़ (अजमेर)**	**कोषाध्यक्ष** **श्री धरणीधर शिक्षा समिति** **सरवाड़ (अजमेर)**
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष